प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ: माननीय डॉ. आई. एम. कुद्दूसी, न्यायाधीश

माननीय श्री जी. मिनहाजुद्दीन, न्यायाधीश

प्रथम अपील (एम) क्रमांक 81 /2007

अपीलार्थी श्रीमती सीमा पाण्डेय

विरूद्ध

प्रत्यर्थी विजय कुमार पाण्डेय

निर्णय के लिए विचारार्थ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

जी. मिनहजुद्दीन

न्यायाधीश

13/02/2012

माननीय डॉ आई. एम. कुद्दूसी, न्यायाधीश

मैं सहमत हूँ।

सही/-

डॉ आई. एम. कुद्दूसी,

न्यायाधीश

निर्णय के लिए सूचीबद्ध : दिनांक 14/02/2012

सही/-
न्यायाधीश

13/02/2012

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ: माननीय डॉ. आई. एम. कुद्दूसी, न्यायाधीश

माननीय श्री जी. मिनहाजुद्दीन, न्यायाधीश

प्रथम अपील (एम) क्रमांक 81 /2007

अपीलार्थी श्रीमती सीमा पाण्डेय

विरूद्ध

प्रत्यर्थी विजय कुमार पाण्डेय

उपस्थित:

अपीलार्थी के लिए: श्रीमती इंदिरा त्रिपाठी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी के लिए: श्री सुनील ओटवानी अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(14/02/2012 को पारित)

जी. मिनहाजुद्दीन, न्यायाधीश

1. यह अपील कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के तहत कुटुंब न्यायालय, कोरबा (छ.ग.) द्वारा व्यवहार वाद क्र. 52-अ/07 में 30 नवंबर, 2007 को दिए गए निर्णय और डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i-क) और 13(1)(iii) के तहत प्रत्यर्थी/पति की विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह विघटन करने का आवेदन मंजूर कर लिया गया है।

2. जिन तथ्यों पर कोई विवाद नहीं है, वे ये हैं कि दोनों पक्षकारों की विवाह दिनांक 3.7.2002 को बिलासपुर में हिंदू रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार हुई थी। इस आवेदन को प्रस्तुत करने से पहले, प्रत्यर्थी/पति ने पहले हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i-क) और 13(1)

(iii) के तहत दिनांक 24.2.2005 को विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह खत्म करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत की थी, जिसे व्यवहार वाद क्र. 29क/05 के रूप में दर्ज किया गया था और जिसमें, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 10 के तहत न्यायिक अलगाव की डिक्री दिनांक 7.4.2006 को पारित की गई थी।

3. संक्षेप में, प्रत्यर्थी/पति का प्रकरण यह है कि विवाह के पहले दिन से ही उनकी अपीलार्थी/पत्नी उनके साथ क्रूरता का व्यवहार कर रही थी, यह कहते हुए कि वह प्रत्यर्थी से विवाह नहीं करना चाहती थी, उसके माता-पिता ने उसे उससे विवाह करने के लिए मजबूर किया था और वह उससे विवाह विच्छेद चाहती है। प्रत्यर्थी ने इस बारे में अपने ससुराल वालों को बताया, जिसके बाद वे अपीलार्थी को बाल्को ले गए। अपीलार्थी 15 दिन बाद अपने भाई के साथ अपने ससुराल लौटी। यद्यपि, उसने फिर से प्रत्यर्थी को परेशान करना और झगड़ा करना शुरू कर दिया और कहा कि वह प्रत्यर्थी के साथ नहीं रहेगी और उसे विवाह विच्छेद चाहिए। इसके बाद, प्रत्यर्थी/पति ने अपने ससुराल वालों को बुलाया और अपीलार्थी/पत्नी को अपने परिचित प्रकाश शर्मा, इंजीनियर, रायपुर के पास ले गया, जिन्होंने उन्हें अपीलार्थी का इलाज मनोचिकित्सक डॉ. प्रकाश नारायण शुक्ला से करवाने की सलाह दी और उसी के अनुसार, अपीलार्थी/पत्नी का इलाज मनोचिकित्सक द्वारा किया जा रहा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. आगे, प्रत्यर्थी/पति ने कहा है कि जब तक अपीलार्थी डॉ. शुक्ला की दवाएं लेती थी, तब तक वह सामान्य रहती थी, लेकिन जैसे ही उसने दवाएं लेना बंद कर दिया, प्रत्यर्थी के प्रति उसका व्यवहार असामान्य और क्रूर हो जाता था। जब अपीलार्थी गर्भवती थी, तो उसके माता-पिता उसे डिलीवरी के लिए बाल्को ले गए और दिनांक 27.8.2003 को उसने एक लड़के को जन्म दिया। डिलीवरी के एक महीने बाद, जब प्रत्यर्थी अपीलार्थी को वापस उसके ससुराल ले गया, तो उसने अपने ससुराल वालों के साथ संयुक्त परिवार में रहने से इनकार कर दिया, जिसके बाद प्रत्यर्थी ने उसके लिए अलग रहने की व्यवस्था की। दिनांक 19.10.2003 को शाम लगभग 7.30 बजे जब प्रत्यर्थी अपनी दुकान से लौटा, तो उसने देखा कि अपीलार्थी घर पर नहीं थी, दरवाज़ा खुला था और वह अपने बच्चे के साथ कहीं चली गई थी। पूछताछ करने पर उसे पता चला कि वह भाटापारा की ओर गई है। इसके पश्चात्, वह अपीलार्थी के रिश्तेदारों को इस बारे में बताकर अपीलार्थी की तलाश में भाटापारा गया। यद्यपि, जब वह नहीं मिली, तो उसने दिनांक 20.10.2003 को पुलिस चौकी—मारे (नंदघाट) में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी वह उसे ढूंढता रहा और उसी दिनांक 20.10.2003 को देर रात,

उसे अपनी पत्नी (अपीलार्थी) भाटापारा के एक झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाके में एक रिक्शावाले के घर में मिली। जब प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी से वापस आने को कहा, तो उसने उसके साथ आने से मना कर दिया। इसके पश्चात्, प्रत्यर्थी ने इस बारे में अपीलार्थी के दादा-दादी को बताया, जिस पर वे लगभग 2.30 बजे वहां आए और अपीलार्थी और उसके बच्चे को बिलासपुर वापस ले गए, जहां से अपीलार्थी अपने माता-पिता के घर बाल्को चली गई। प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी और उसके बच्चे को अपने साथ रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने उसके साथ रहने से मना कर दिया। अपीलार्थी के दादा ने प्रत्यर्थी को बताया था कि अपीलार्थी का इलाज डॉ. दास, मनोचिकित्सक, अपोलो अस्पताल, बिलासपुर में चल रहा है।

5. प्रत्यर्थी/पति का कहना है कि उसने अपीलार्थी को अपने साथ रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर बार अपीलार्थी ने उसके साथ रहने से मना कर दिया। दिनांक 10.11.2003 को उसने परिवार परामर्श केंद्र, बिलासपुर में एक आवेदन दिया और दिनांक 28.12.2004 को थाना मंडला में एक और आवेदन दिया। उसने पहले भी कुटुंब न्यायालय में वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन उसकी पत्नी (अपीलार्थी) ने उसके साथ रहने से मना कर दिया। यद्यपि, कुटुंब न्यायालय के समझाने पर, वह अपनी मां और बुआ (अपीलार्थी के पिता की बहन) के साथ अपने ससुराल में प्रत्यर्थी के साथ रहने आ गई। उस समय, अपीलार्थी ने अपनी मां और बुआ के साथ भी क्रूरता का व्यवहार किया, अतः, उसकी मां अपीलार्थी को वापस बाल्को ले गई। इस तरह, अपीलार्थी के व्यवहार से तंग आकर, प्रत्यर्थी को कुटुंब न्यायालय में विवाह विच्छेद की डिक्री देने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यद्यपि, माननीय कुटुंब न्यायालय ने दिनांक 7.4.2006 को, विवाह विच्छेद की डिक्री देने के बजाय, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 के तहत न्यायिक अलगाव की डिक्री दी और तब से अपीलार्थी प्रत्यर्थी से अलग रह रहा है और उसे अपने दाम्पत्य अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। इन परिस्थितियों में, न्यायिक अलगाव के उक्त आदेश के एक साल बाद, प्रत्यर्थी ने विवाह विच्छेद की डिक्री देने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अपीलार्थी/पत्नी ने प्रत्यर्थी/पति द्वारा अपने उपरोक्त आवेदन में अपीलार्थी/पत्नी के विरुद्ध किए गए प्रतिकूल आरोपों से इनकार किया है, और तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रत्यर्थी उनकी विवाह से संतुष्ट नहीं था और दहेज की मांग को लेकर उसे पीटता था। प्रत्यर्थी उसे अनावश्यक रूप से और जबरदस्ती मनोचिकित्सक डॉ. प्रकाश नारायण शुक्ला के पास ले गया था और डॉक्टर के साथ मिलकर उसे ऐसी दवाएं दे रहा था जिससे उसे मानसिक बीमारी हो सकती थी। प्रत्यर्थी ने उसके (अपीलार्थी के) माता-पिता से कहा था कि वह मानसिक रूप से बीमार है और यह सब इसलिए

किया जा रहा है ताकि वह (प्रत्यर्थी) अपीलार्थी को विवाह विच्छेद देकर पैसे के लिए दूसरी विवाह कर सके।

7. अपीलार्थी/पत्नी ने आगे तर्क प्रस्तुत किया है कि उसका पति (प्रत्यर्थी) पेशे से डॉक्टर है और उसके मानसिक संतुलन को बिगाड़ने के लिए, वह उसे जबरदस्ती दवाएं देता था और मना करने पर उसे पीटता था। जब वह गर्भवती थी, तो उसने उसे पीटने के बाद उसके ससुराल से बाहर निकाल दिया था। बच्चे के जन्म के बाद भी, वह उसे प्रताड़ित करता था और धमकी देता था कि वह बच्चे को अपने बड़े भाई को सौंप देगा और उसे विवाह विच्छेद देकर दूसरी विवाह कर लेगा। दिनांक 19.11.2003 को, प्रत्यर्थी ने जबरदस्ती उससे विवाह विच्छेद के कागजात पर हस्ताक्षर करने को कहा और जब उसने मना किया, तो उसने उसे पीटा और धमकी दी कि अगर उसने शाम तक उन कागजात पर हस्ताक्षर नहीं किए, तो वह उसे मार डालेगा। अतः, अपनी जान को आसन्न खतरे को देखते हुए, वह अपने बच्चे मुकेश के साथ रात में अपना ससुराल छोड़ दिया।

8. अपीलार्थी/पत्नी ने अपने जवाब में आगे तर्क प्रस्तुत किया है कि न्यायिक अलगाव की डिक्री मिलने के पश्चात्, प्रत्यर्थी/पति उसे और उसके माता-पिता को फोन पर गाली देता था और धमकी देता था कि अगर अपीलार्थी/पत्नी अपने ससुराल वापस आने की हिम्मत करेगी, तो वह (प्रत्यर्थी) उसे मार डालेगा। उसके माता-पिता ने प्रत्यर्थी/पति और उसके रिश्तेदारों से अपीलार्थी को रखने के लिए कई बार अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। प्रत्यर्थी/पति ने अपीलार्थी/पत्नी को भरण-पोषण की राशि नहीं दी, फिर भी उसने इस संबंध में उसके विरुद्ध कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई या कोई कार्यवाही शुरू नहीं की क्योंकि वह (अपीलार्थी) प्रत्यर्थी के साथ रहना चाहती है। अतः, उपरोक्त कथनों के साथ, अपीलार्थी/पत्नी ने विवाह विच्छेद की डिक्री देने के लिए प्रत्यर्थी/पति के आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. यद्यपि, माननीय कुटुंब न्यायालय ने संबंधित पक्षकारों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के पश्चात्, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए, आक्षेपित आदेश और डिक्री द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत प्रत्यर्थी/पति के आवेदन को स्वीकार कर लिया और पक्षकारों के बीच विवाह को विघटित कर दिया।

10. पक्षकारों के अधिवक्ताओं का तर्क सुना गया, कुटुंब न्यायालय के अभिलेख के साथ-साथ आक्षेपित आदेश का भी अवलोकन किया।

11. इसमें कोई विवाद नहीं है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (संक्षेप में "अधिनियम, 1955") की धारा 13 के तहत वर्तमान आवेदन दर्ज करने से पहले, प्रत्यर्थी/पति ने दिनांक 24.2.2005 को अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत क्रूरता और अपीलार्थी/पत्नी की मानसिक बीमारी के

आधार पर विवाह विच्छेद के लिए एक आवेदन दर्ज किया था, जिसमें दिनांक 7.4.2006 के निर्णय से विवाह विच्छेद की डिक्री देने से इनकार कर दिया गया था और प्रत्यर्थी/पति के पक्ष में और अपीलार्थी/पत्नी के विरुद्ध न्यायिक अलगाव की डिक्री पारित की गई थी। अपीलार्थी/पत्नी द्वारा उक्त निर्णय और दिनांक 7.4.2006 की डिक्री के विरुद्ध परिसीमा अवधि के भीतर कोई अपील दर्ज नहीं की गई थी और इसे देरी से एफ. ए (एम) क्र.12/08 के रूप में दर्ज किया गया था, जिसे दिनांक 6.5.2009 के आदेश द्वारा परिसीमा से वर्जित होने के कारण खारिज कर दिया गया था। एक वर्ष की वैधानिक अवधि बीत जाने के पश्चात्, वर्तमान प्रकरण दिनांक 3.9.2007 को न्यायिक अलगाव की डिक्री पारित होने के बाद सहवास फिर से शुरू न होने के आधार पर और साथ ही अपीलार्थी/पत्नी की मानसिक बीमारी के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह को विघटित करने के लिए दर्ज किया गया था, जिसमें सुनवाई के पश्चात् दिनांक 30.11.2007 का आक्षेपित आदेश और डिक्री पारित की गई है।

12. अब यह अच्छी तरह से सुस्थापित हो गया है कि केवल न्यायिक अलगाव की डिक्री प्राप्त करने और एक साल की वैधानिक अवधि बीत जाने के पश्चात्, विवाह के किसी भी पक्ष को अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत विवाह विच्छेद के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर अपने पक्ष में विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार नहीं मिलता है। न्यायिक अलगाव की डिक्री प्राप्त करने के बाद भी, विवाह विच्छेद चाहने वाले विवाह के किसी भी पक्ष को यह साबित करना होगा कि ऐसी डिक्री पारित होने के बाद, उसके द्वारा सभी प्रयास किए जाने के बावजूद, दूसरे पक्ष के इनकार के कारण उनके बीच सहवास फिर से शुरू नहीं हुआ है। इस संबंध में, हीराचंद श्रीनिवास मनगांवकर विरुद्ध सुनंदा जो ए.आई.आर 2001 एस सी 1285 में प्रकाशित है, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख करना आवश्यक है, जिसमें, कंडिका 13, 16 और 18 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया है:

> 13. यह तर्क कि धारा 13 की उप-धारा (1-अ) द्वारा दिया गया अधिकार पूर्ण और बिना शर्त है और यह नया दिया गया अधिकार धारा 23 के प्रावधानों के अधीन नहीं है, गलत है। यह तर्क इस गलत धारणा पर आधारित प्रतीत होता है कि धारा 23(1) के तहत उत्पन्न होने वाले विचारों को धारा 13 की उप-धारा (1-अ) के तहत दर्ज याचिका के निर्धारण में शामिल करना, संशोधन अधिनियम क्र 44- 1964 द्वारा किए गए संशोधनों को पूरी तरह से अर्थहीन बना देगा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, धारा 13(1) के खंड (viii) और (ix) के तहत संशोधन से पहले, विवाह विच्छेद के लिए आवेदन करने का अधिकार उस पक्ष तक सीमित था जिसने न्यायिक अलगाव या वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री प्राप्त की थी। ऐसा अधिकार उस पक्ष को उपलब्ध नहीं था जिसके विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

डिक्री पारित की गई थी। धारा 13 की उप-धारा (1-अ) जिसे संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, विवाह के दोनों पक्षकारों में से किसी को भी ऐसा अधिकार देती है ताकि संशोधन के बाद विवाह विच्छेद की याचिका न केवल उस पक्ष द्वारा दर्ज की जा सके जिसने न्यायिक अलगाव या दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए डिक्री प्राप्त की थी, बल्कि उस पक्ष द्वारा भी जिसके विरुद्ध ऐसी डिक्री पारित की गई थी। यह 1964 के अधिनियम क्र 44 द्वारा किए गए संशोधन का सीमित उद्देश्य और प्रभाव है। यह संशोधन इसलिए नहीं किया गया था कि धारा 23 में दिए गए प्रावधानों को खत्म कर दिया जाए और न ही यह संशोधन का प्रभाव है। उप-धारा (1-अ) का उद्देश्य केवल विवाह विच्छेद के लिए आवेदन करने के अधिकार का विस्तार करना था, न कि इसे अनिवार्य बनाना कि उप-धारा (1-अ) के तहत प्रस्तुत विवाह विच्छेद की याचिका को केवल इस सबूत पर स्वीकार किया जाना चाहिए कि आवश्यक अवधि के लिए कोई सहवास या पुनर्स्थापना नहीं हुई थी। धारा 23 की भाषा ही दर्शित करती है कि यह अधिनियम के तहत हर कार्यवाही पर लागू होती है और न्यायालय पर यह कर्तव्य है कि वह मांगी गई अनुतोष तभी दे जब उप-धारा में बताई गई शर्तें पूरी हों, अन्यथा नहीं। अतः, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क कि धारा 23(1) के प्रावधान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1-अ) के तहत दर्ज याचिका पर निर्णय लेने में सुसंगत नहीं हैं, स्वीकार नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. इस संबंध में एक धारणा को स्पष्ट करना भी ज़रूरी है कि जब अधिनियम की धारा 13(1-अ) के तहत विवाह विच्छेद की डिक्री पाने के लिए वाद हेतुक उत्पन्न होता है, तो विवाह विच्छेद पाने का अधिकार पक्का हो जाता है और न्यायालय को आवेदक द्वारा मांगी गई विवाह विच्छेद रूपी अनुतोष देनी ही पड़ती है। यह धारणा धारा 13(1-अ) के प्रावधान की गलत व्याख्या पर आधारित है। उक्त धारा में केवल इतना ही प्रावधान है कि विवाह के दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्ष विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह को विघटित करने के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है, इस आधार पर कि न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित होने के बाद, जिसमें वे पक्ष थे, विवाह के पक्षकारों के बीच एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक सहवास फिर से शुरू नहीं हुआ है, या वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री पारित होने के पश्चात्, जिसमें दोनों पति-पत्नी पक्ष थे, विवाह के पक्षकारों के बीच एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना नहीं हुई है। धारा को सही ढंग से पढ़ने पर, यह केवल विवाह के किसी भी पक्ष को उसमें बताए गए किसी भी आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह को भंग करने के लिए आवेदन दर्ज करने में सक्षम बनाती है। धारा यह प्रावधान नहीं करती है कि एक बार जब आवेदक उसमें निर्दिष्ट शर्तों में से किसी एक के पूरा होने का आरोप

लगाते हुए आवेदन करता है, तो न्यायालय के पास विवाह विच्छेद की डिक्री देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। धारा की ऐसी व्याख्या अधिनियम की धारा 23(1)(अ) या (ब) के प्रावधानों के विपरीत होगी। धारा 23(1) में यह कहा गया है कि यदि न्यायालय संतुष्ट है कि अनुतोष देने के लिए कोई भी आधार मौजूद है और इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता किसी भी तरह से ऐसी अनुतोष के उद्देश्य से अपनी गलती या अक्षमता का फायदा नहीं उठा रहा है और खंड (ब) में न्यायालय को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (i) में बताए गए आधार पर याचिका के प्रकरण में, याचिकाकर्ता किसी भी तरह से शिकायत किए गए काम या कामों में शामिल नहीं था, न ही उसने मिलीभगत की थी या उन्हें माफ़ किया था, या जहाँ याचिका का आधार क्रूरता है, याचिकाकर्ता ने किसी भी तरह से क्रूरता को माफ़ नहीं किया है और (ब ब) में जब आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद मांगा जाता है, तो ऐसी सहमति ज़बरदस्ती, धोखाधड़ी या अनुचित प्रभाव से प्राप्त नहीं की गई है। अगर धारा 13(1अ) और धारा 23(1)(अ) के प्रावधानों को एक साथ पढ़ा जाए, तो जो स्थिति सामने आती है, वह यह है कि याचिकाकर्ता को सिर्फ यह दिखाने पर कि याचिका में बताए गए अनुतोष के समर्थन में आधार मौजूद है, दूसरे पक्ष के विरुद्ध विवाह विच्छेद की डिक्री का अनुतोष पाने का कोई निहित अधिकार नहीं है। यह ध्यान में रखना होगा कि पति-पत्नी के बीच का रिश्ता मानवीय जीवन से जुड़ा मामला है। मानवीय जीवन विधि द्वारा प्रतिपादित की गई निश्चित रेखाओं या रेखाचित्र पर नहीं चलता है। यह भी ध्यान में रखना होगा कि विवाह के पक्षकारों के बीच रिश्ते को स्थायी रूप से खत्म करने की याचिकाकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार करने से पहले, रिश्ते की पवित्रता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, जो न केवल व्यक्तियों या उनके बच्चों के लिए बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह को विघटित करने की अनुतोष दी जानी है या नहीं, यह प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ऐसे प्रकरण में, सार्वभौमिक रूप से लागू होने वाला कोई सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित करना बहुत जोखिम भरा होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. इस संबंध में एक और प्रश्न जो विचार के लिए उठता है, वह है अधिनियम की धारा 10(2) का अर्थ और महत्व, जिसमें यह कहा गया है कि जहां न्यायिक अलगाव के लिए डिक्री पारित की गई है, वहां याचिकाकर्ता के लिए प्रत्यर्थी के साथ सहवास करना अब अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन न्यायालय, किसी भी पक्ष की याचिका पर और ऐसी याचिका में दिए गए बयानों की सच्चाई से संतुष्ट होने पर, डिक्री को रद्द कर सकती है यदि वह ऐसा

करना उचित और तर्कसंगत समझती है। प्रश्न यह है कि क्या इस वैधानिक प्रावधान को मौजूदा प्रकरण पर लागू करते हुए, यह कहा जा सकता है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी के साथ सहवास करने के कर्तव्य से मुक्त कर दिया गया था क्योंकि बाद वाले द्वारा दर्ज आवेदन पर न्यायिक अलगाव के लिए डिक्री पारित की गई है। उप-धारा (2) को ध्यान से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि यह प्रावधान उस याचिकाकर्ता पर लागू होता है जिसके आवेदन पर न्यायिक अलगाव के लिए डिक्री पारित की गई है। यह मानते हुए भी कि यह प्रावधान याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी दोनों पर लागू होता है, यह याचिकाकर्ता या प्रत्यर्थी को न्यायिक अलगाव की डिक्री पारित होने के बाद दूसरे पक्ष के साथ सहवास के लिए कोई प्रयास न करने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं देता है। जैसा कि इस प्रावधान में साफ़ तौर पर बताया गया है, न्यायिक अलगाव का निर्णय इस मायने में अंतिम नहीं है कि इसे बदला नहीं जा सकता, अगर न्यायालय को लगता है कि ऐसा करना सही और उचित है, तो किसी भी पक्ष की अर्जी पर न्यायालय के पास निर्णय को रद्द करने की शक्ति है। इस आदेश का असर यह होता है कि शादी से उत्पन्न होने वाले कुछ आपसी अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ एक तरह से रद्द हो जाती हैं और उनकी जगह आदेश में बताए गए अधिकार और कर्तव्य लागू हो जाते हैं। न्यायिक अलगाव का आदेश विवाह के बंधन को तोड़ता या खत्म नहीं करता, जो बना रहता है। यह पति-पत्नी को सुलह और फिर से तालमेल बिठाने का मौका देता है। यह आदेश पक्षकारों के बीच सुलह से खत्म हो सकता है, ऐसी स्थिति में विवाह से मिलने वाले और रद्द किए गए संबंधित पक्षकारों के अधिकार बहाल हो जाते हैं। अतः, यह धारणा कि धारा 10(2) याचिकाकर्ता को विवाह विच्छेद का आदेश पाने का अधिकार देती है, इस तथ्य के बावजूद कि उसने उतरवादी के साथ रहने की कोई कोशिश नहीं की है और यहाँ तक कि साथ रहने की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए काम किया है, विधिक प्रावधानों की उचित व्याख्या से नहीं निकलती है। दोहराव से बचने के लिए यहाँ यह कहा जा सकता है कि इस अधिनियम का उद्देश्य पति-पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध को बनाए रखना है, न कि ऐसे संबंधों को तोड़ने को बढ़ावा देना।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह का विघटिन करने के लिए अपने आवेदन के संबंध में, प्रत्यर्थी/पति ने खुद को और दुष्यंत शर्मा को क्रमशः अ.सा.-1 और अ.सा.-2 के रूप में पेश किया है। मौखिक सबूतों के अतिरिक्त, प्रत्यर्थी/पति ने तीन दस्तावेज़ अर्थात् प्र.पी/1, पी/2 और पी/3 पेश किए हैं, जो कुटुंब न्यायालय, कोरबा द्वारा व्यवहार वाद क्र 29-अ/O5 में दिनांक 7.4.2006 को दिए गए निर्णय और डिक्री की छायाप्रति हैं, और अपोलो हॉस्पिटल, बिलासपुर द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र है, जिसमें डॉ. डी.के. दास, मनोरोग चिकित्सक द्वारा दिनांक 9.12.2003 से दिनांक 8.8.2006 तक अपीलार्थी/पत्नी

के इलाज के बारे में बताया गया है। प्रत्यर्थी/पति ने आरोप लगाया है कि उसकी विवाह अपीलार्थी/पत्नी से दिनांक 3.7.2002 को हुई थी और शुरू से ही, अपीलार्थी/पत्नी का व्यवहार प्रत्यर्थी/पति के प्रति सामान्य नहीं था और क्रूर था। उसने आगे आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी (अपीलार्थी) मानसिक बीमारी से पीड़ित थी और इस बात को अपीलार्थी के माता-पिता ने प्रत्यर्थी से छिपाया था। जब विवाह के बाद, अपीलार्थी सामान्य तरीके से व्यवहार नहीं कर रही थी और प्रत्यर्थी के साथ क्रूरता कर रही थी, तो प्रत्यर्थी ने उसे रायपुर में डॉ. प्रकाश नारायण शुक्ला से दिखाया, जिन्होंने बताया कि अपीलार्थी मानसिक बीमारी से पीड़ित है और इसके परिणामस्वरूप, इलाज शुरू किया गया। प्रत्यर्थी/पति (अ.सा.-1) ने कहा है कि अपीलार्थी/पत्नी तब तक सामान्य रहती थी जब तक वह नियमित रूप से दवाएं लेती थी, लेकिन जैसे ही दवाएं बंद होती थीं, वह फिर से असामान्य तरीके से व्यवहार करने लगती थी।

14. अपीलार्थी/पत्नी के अनुसार, प्रत्यर्थी/पति उसे धमकी देता था कि वह उसे विवाह विच्छेद देकर दूसरी औरत से विवाह कर लेगा। अपीलार्थी (ब.सा.-1) ने यह भी कहा है कि प्रत्यर्थी उस पर आपसी सहमति से विवाह विच्छेद लेने के कागजों पर हस्ताक्षर करने का दबाव डालता था और जब वह मना करती थी, तो प्रत्यर्थी उसे बेरहमी से पीटता था। यह दिखाने के लिए कि अपीलार्थी को मानसिक समस्या है, उसके पति (प्रत्यर्थी) ने उसे रायपुर के एक मनोचिकित्सक के पास ले जाकर डॉ. प्रकाश नारायण शुक्ला, मनोचिकित्सक की सलाह के विरुद्ध उसे दवाइयाँ दीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. यद्यपि प्रत्यर्थी/पति ने आरोप लगाया है कि शुरू से ही अपीलार्थी/पत्नी मानसिक बीमारी से पीड़ित थी और उसने रायपुर में डॉ. प्रकाश नारायण शुक्ला से उसका इलाज करवाया था, लेकिन न तो डॉ. प्रकाश नारायण शुक्ला का परीक्षण किया गया है, और न ही उक्त डॉक्टर द्वारा जारी किया गया कोई प्रमाण पत्र प्रत्यर्थी ने यह साबित करने के लिए पेश किया है कि अपीलार्थी /पत्नी मानसिक बीमारी से पीड़ित है।

16. प्रत्यर्थी/पति (अ.सा.-1) ने कहा है कि अपीलार्थी/पत्नी का दिनांक 9.12.2003 से दिनांक 8.8.2006 तक अपोलो हॉस्पिटल, बिलासपुर के डॉ. डी.के. दास द्वारा मानसिक समस्या का इलाज किया गया था। इस संबंध में, प्रत्यर्थी/पति ने अपोलो हॉस्पिटल के प्रबंधन द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण पत्र (प्र. पी/3) पेश किया है, जिसे प्रत्यर्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त किया है। यद्यपि, यह साबित करने के लिए कि अपीलार्थी/पत्नी का डॉ. डी.के. दास, मनोचिकित्सक, अपोलो हॉस्पिटल द्वारा मानसिक समस्या का इलाज किया गया था, न तो संबंधित डॉक्टर का परीक्षण किया गया है, और न ही अपीलार्थी/पत्नी के इलाज से संबंधित हॉस्पिटल के अभिलेख मंगवाए गए हैं। ऐसी स्थिति में, यह नहीं कहा जा सकता कि यह साबित

हो गया है कि अपीलार्थी/पत्नी को कोई मानसिक बीमारी थी और यदि थी, तो उस मानसिक बीमारी की गंभीरता कितनी थी। इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी/पति द्वारा दर्ज विवाह विच्छेद की कार्यवाही में, अपीलार्थी/पत्नी ने खुद प्रत्यर्थी/पति (अ.सा.-1) के साथ-साथ उसके साक्षी दुष्यंत शर्मा (अ.सा.-2) से प्रति परीक्षण की है। जिस तरह से इन साक्षियों से अपीलार्थी/पत्नी ने प्रति परीक्षण की है, उससे यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी/पत्नी किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित है। अपीलार्थी/पत्नी और उसके साक्ष्य ने विशेष रूप से इस बात से इनकार किया है कि अपीलार्थी/पत्नी किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित है। अपीलार्थी/पत्नी और उसकी मां श्रीमती पुष्पा तिवारी (ब.सा.-2), दोनों ने तर्क दिया है कि प्रत्यर्थी/पति लगातार अपीलार्थी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था, जिसके कारण वह (अपीलार्थी) सो नहीं पाती थी और परिणामस्वरूप, उसका अपोलो हॉस्पिटल, बिलासपुर में इलाज किया गया। इस प्रकार, प्रत्यर्थी/पति यह साबित करने में विफल रहा है कि उसकी पत्नी (अपीलार्थी) किसी ऐसी मानसिक बीमारी से पीड़ित है, जो इतनी गंभीर है कि उनके बीच सहवास असंभव हो जाए।

17. इसमें कोई विवाद नहीं है कि दिनांक 27.8.2003 को विवाह से मुकेश उर्फ विशाल नाम का एक बेटा पैदा हुआ था, जो अभी अपनी माँ (अपीलार्थी) के साथ अपने नाना-नानी के घर रह रहा है। प्रत्यर्थी/पति ने यह दिखाने के लिए कि अपीलार्थी/पत्नी मानसिक बीमारी से पीड़ित है, कहा है कि दिनांक 19.10.2003 को उसकी गैरमौजूदगी में, अपीलार्थी/पत्नी उसे बिना बताए अपना ससुराल छोड़कर चली गई थी और जब वह रात में लौटा, तो उसने घर खुला पाया और खोजने पर, वह अपने छोटे बच्चे के साथ भाटापारा के झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाके में एक रिक्शावाले के घर मिली। इसके बाद, पूछे जाने पर, अपीलार्थी/पत्नी ने प्रत्यर्थी के साथ वापस आने से मना कर दिया, जिस पर प्रत्यर्थी ने उसके नाना- नानी को बताया, जो बिलासपुर से कार से आए और अपीलार्थी और छोटे बच्चे को भाटापारा से बिलासपुर ले गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. इस संबंध में, अपीलार्थी सीमा पाण्डेय (ब.सा.-1) ने कहा है कि दिनांक 19.10.2003 को दोपहर में अपना ससुराल छोड़ने से पहले, प्रत्यर्थी/पति ने उससे आपसी सहमति से विवाह विच्छेद लेने के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था और उसके मना करने पर, उसे बेरहमी से पीटा गया और धमकी दी गई कि अगर वह शाम को उसके (प्रत्यर्थी) लौटने तक उन कागजात पर हस्ताक्षर नहीं करती है, तो वह उसे और उसके छोटे बच्चे को मार डालेगा। अपीलार्थी/पत्नी ने आगे तर्क दिया है कि इन परिस्थितियों में, अपने छोटे बच्चे और अपनी जान बचाने के इरादे से, उसने दिनांक 19.10.2003 को प्रत्यर्थी के लौटने से पहले अपना ससुराल

छोड़ दिया था और अपने नाना-नानी को भाटापारा आने और उसे बिलासपुर ले जाने के लिए सूचित करने के बाद भाटापारा चली गई थी।

19. प्रत्यर्थी/पति ने कोरबा, कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश की न्यायालय में पहले प्रस्तुत व्यवहार वाद क्र 29-अ/05 में दिनांक 7.4.2006 को दिए गए निर्णय और डिक्री की सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे प्र.पी/1 और पी/2 के रूप में अंकित किया गया है। यह लगभग विवादित नहीं है कि दिनांक 19.10.2003 को प्रत्यर्थी/पति की अनुपस्थिति में, अपीलार्थी/पत्नी अपने छोटे बच्चे के साथ नारायणपुर में अपना ससुराल छोड़ दिया था और अगले दिन अर्थात् दिनांक 20.10.2003 को, प्रत्यर्थी ने उसे भाटापारा के झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाके में एक रिक्शावाले के घर में पाया, जहाँ से उसे उसके नाना-नानी बिलासपुर ले गए थे। पहले दर्ज व्यवहार वाद क्र. 29-अ/05 में, वर्तमान प्रत्यर्थी विजय कुमार पाण्डेय (अ.सा.-1) ने उक्त रिक्शावाले जिसका नाम कालिया था, को अपने साक्षी के रूप में पेश किया है।

20. अपीलार्थी/पत्नी श्रीमती सीमा पाण्डेय (ब.सा.-1) ने कहा है कि दिनांक 19.10.2003 को जब उनके पति (प्रत्यर्थी) ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने उनके लौटने तक विवाह विच्छेद के कागजात पर हस्ताक्षर नहीं किए, तो वह उन्हें और उनके छोटे बच्चे को मार देंगे, इसलिए उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अपने पति (प्रत्यर्थी) के लौटने से पहले अपना ससुराल छोड़ दिया और अपने बच्चे के साथ भाटापारा चली गईं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. यद्यपि, कुटुंब न्यायालय, कोरबा के न्यायालय में पहले दर्ज किए गए व्यवहार वाद क्र 29-अ/05 का अभिलेख हमारे सामने उपलब्ध नहीं है, लेकिन उक्त व्यवहार वाद में दिनांक 7.4.2006 को दिए गए निर्णय के कंडिका-21 को देखने से यह स्पष्ट है कि कुटुंब न्यायालय ने उस रिक्शावाले कालिया के सबूतों पर चर्चा करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है, जिसने खुद कहा है कि जब प्रत्यर्थी/पति विजय कुमार पाण्डेय अपनी पत्नी (अपीलार्थी) श्रीमती सीमा पाण्डेय की तलाश में भाटापारा में उसके घर आए, तो अपीलार्थी/पत्नी ने उनसे अनुरोध किया कि उन्हें उनके पति (प्रत्यर्थी) के साथ न भेजें क्योंकि वह (प्रत्यर्थी) उन्हें मार देंगे। इस प्रकार, इससे, साथ ही सभी तथ्यों और परिस्थितियों और संभावनाओं के आधार पर, यह साबित होता है कि दिनांक 19.10.2003 को अपीलार्थी ने अपनी मर्जी से अपना ससुराल नहीं छोड़ा था, बल्कि अपने पति (प्रत्यर्थी) द्वारा दी गई धमकी के कारण छोड़ा था।

22. जहां तक दिनांक 7.4.2006 को न्यायिक अलगाव की डिक्री पास होने के बाद पति/प्रत्यर्थी द्वारा साथ रहने की कोशिश करने और पत्नी/अपीलार्थी द्वारा साथ रहने से इनकार करने का प्रश्न है, पति/प्रत्यर्थी विजय कुमार पाण्डेय (अ.सा.-1) ने कहा है कि दिनांक 7.4.2006 को न्यायिक

अलगाव की डिक्री पास होने के बाद, उसने 1 साल तक लगातार अपनी पत्नी (अपीलार्थी) और बच्चे को वापस घर लाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी/अपीलार्थी ने पति/प्रत्यर्थी के साथ रहने से इनकार कर दिया। प्रत्यर्थी ने आगे कहा है कि जब भी उसने अपनी पत्नी (अपीलार्थी) से बात करने की कोशिश की, तो या तो उसके माता-पिता ने उसे बात नहीं करने दी या जब उसे टेलीफोन पर बात करने का मौका मिला, तो अपीलार्थी ने खुद ही उससे बात करने से इनकार कर दिया। वह कहती थी कि वह न तो उससे बात करना चाहती है और न ही उसके साथ रहना चाहती है और उसने धमकी दी थी कि अगर वह (प्रत्यर्थी) उससे टेलीफोन पर संपर्क करता रहा, तो वह उसके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराएगी और उसे फंसा देगी। अपने बयान के अतिरिक्त, पति/प्रत्यर्थी ने अपने बयान को साबित करने के लिए कोई भी सबूत, मौखिक या दस्तावेजी, पेश नहीं किया कि न्यायिक अलगाव की डिक्री पास होने के बाद, उसने लगातार साथ रहने की कोशिश की थी। इसके विपरीत, पत्नी/अपीलार्थी और उसके माता-पिता के साथ-साथ उसके मामा बसंत कुमार शुक्ला (ब.सा.-3) ने कहा है कि दिनांक 7.4.2006 को न्यायिक अलगाव की डिक्री पास होने के बाद, उन्होंने लगातार अपीलार्थी को उसके पति (प्रत्यर्थी) के साथ रहने के लिए वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों ने उसे रखने से इनकार कर दिया और कहा कि प्रत्यर्थी उसे विवाह विच्छेद देगा, वह दूसरी विवाह करेगा और बच्चे को भी ले जाएगा और उसे अपने बड़े भाई को दे देगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. प्रत्यर्थी/पति ने पहले क्रूरता और अपीलार्थी/पत्नी के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के आधार पर विवाह विच्छेद मांगा था, लेकिन उसे न्यायिक अलगाव का आदेश मिला। उसके पश्चात, उसने तय समय के अंदर साथ रहने की शुरुआत न होने के आधार पर और इस आधार पर कि अपीलार्थी/पत्नी मानसिक बीमारी से पीड़ित है, विवाह विच्छेद का प्रकरण प्रस्तुत किया। यद्यपि, हमारी अभिमत में, कुटुंब न्यायालय के सामने पेश किए गए सबूतों के अनुसार, प्रत्यर्थी/पति यह साबित करने में असफल रहा है कि अपीलार्थी किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित है। पक्षकारों द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर, यह साबित होता है कि प्रत्यर्थी/पति द्वारा दी गई धमकी के कारण कि अगर अपीलार्थी/पत्नी आपसी सहमति से विवाह विच्छेद के कागजात पर हस्ताक्षर नहीं करती है, तो अपीलार्थी/पत्नी अपने छोटे बच्चे के साथ प्रत्यर्थी/पति की गैरमौजूदगी में अपना ससुराल छोड़कर भाटापारा चली गई थी और उसने अपने नाना-नानी को वहां बुलाकर उसे बिलासपुर ले जाने के लिए कहा था। यह विवादित नहीं है कि अपीलार्थी/पत्नी और उसके बच्चे के पक्ष में 1100/- रुपये प्रति माह का भरण-पोषण आदेश पारित किया गया है और प्रत्यर्थी/पति के प्रति परीक्षण में दिए गए बयान के अनुसार, उसने केवल भरण-पोषण की राशि का एक हिस्सा ही भुगतान किया था, जो बकाया हो गया था।

24. वर्तमान प्रकरण में, प्रत्यर्थी/पति ने न केवल अपीलार्थी/पत्नी और उसके बच्चे के पक्ष में दिए गए भरण-पोषण के आदेश का पालन नहीं किया है, बल्कि वह जानबूझकर अपने पक्ष में न्यायिक अलगाव की डिक्री पारित होने के बाद एक साल की विधिक अवधि खत्म होने का इंतजार कर रहा है, ताकि उसे आसानी से विवाह विच्छेद की डिक्री मिल सके। इन परिस्थितियों में, यह उचित रूप से कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी/पति ने न केवल अपनी पत्नी (अपीलार्थी) और उसके बच्चे को भरण-पोषण देने से इनकार करके वैवाहिक गलती की है, बल्कि उसने सहवास फिर से शुरू करने के लिए अपीलार्थी/पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए सभी प्रयासों को भी विफल कर दिया है और इस तरह वह विवाह विच्छेद की अनुतोष पाने के लिए अपनी गलती का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार, प्रत्यर्थी/पति हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 23 के अर्थ में एक गलती करता है और परिणामस्वरूप, विधिक अवधि के भीतर सहवास फिर से शुरू न होने के बाद भी, वह अधिनियम की धारा 13(1अ) के तहत विवाह विच्छेद की डिक्री का हकदार नहीं है, क्योंकि इसके लिए प्रत्यर्थी/पति स्वयं जिम्मेदार है। इस प्रकार, अभिलेख पर मौजूद सबूतों पर उपरोक्त चर्चाओं को देखते हुए, हमारी अभिमत है कि प्रत्यर्थी/पति विवाह विच्छेद की डिक्री का हकदार नहीं है और परिणामस्वरूप, विद्वान कुटुंब न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी/पति को विवाह विच्छेद देने वाला आक्षेपित आदेश और डिक्री आपस्त करने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. नतीजतन, अपील स्वीकार की जाती है। कुटुंब न्यायालय, कोरबा (छ. ग) द्वारा व्यवहार वाद क्र 52-अ/07 में पारित आक्षेपित आदेश और डिक्री दिनांक 30 नवंबर, 2007 को आपस्त किया जाता है और परिणामस्वरूप, उक्त व्यवहार वाद क्र 52-अ/07 खारिज किया जाता है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

26. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) को तदनुसार एक डिक्री तैयार करने का निर्देश दिया जाता है।

सही/-

आई. एम. कुद्दूसी

न्यायाधीश

सही/-

जी. मिनहाजुद्दीन

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By .....K. RADHIKA.....